चीज न हो जाय जिससे कि इंसान को नुकसान हो जाय, यह उसको रेगलेट करने की बात है, इंसान को मारने के लिये नहीं है, उसका कोई विचार नहीं है । कोई आदमी जो गलत कर्म करता है उसको अपना कर्म ही मार डालता है, उसके लिये कोड़ मारने की दवाई की जरूरत नहीं होती, कर्म ही आदमी को मारता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE PUNJAB NEW CAPITAL (PERIPHERY) CONTROL (CHANDIGARH AMENDMENT) BILL, 1972

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. DEBI PRASAD CHATTOPADHYAY): Sir, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952, as in force in the Union territory of Chandigarh, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952 was enacted for the purpose of checking unplanned and haphazard growth of shabby looking buildings and structures, excavations and approach roads in a periphery area of 5 miles radius, surrounding the Chandigarh city. Later, owing to the swift urbanisation of the area around Chandigarh and the location therein of the Cantonment, Indian Air Force Station and the Hindustan Machine Tools Factory, the Act was amended to extend the control to a periphery area of 10 miles radius around Chandigarh, by Punjab Act No. 28 of 1962.

With the reorganisation of Punjab with effect from 1st November, 1966, the periphery area of Chandigarh city has fallen to the share of the Government of Punjab and Haryana, and the Administration of the Union Territory of Chandigarh. In accordance with the provisions of section 88 of the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952, continues to apply to all the peripheral areas of Chandigarh to which the Act was applicable before 1st November, 1966. Therefore, the three Governments have to enforce the provisions of the Act in their respective areas of jurisdiction.

The Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952, in its application to Chandigarh was adopted by the Central Government, *vide* The Punjab Reorganisation (Chandigarh) (Adaptations of Laws on State and Concurrent Subjects) Order, 1968. The Chandigarh Administration have experienced certain difficulties in the application of the Act within their area of jurisdiction and to overcome those difficulties have suggested certain amendments to the Act. The circumstances which have necessitated these amendments are being explained now. Sub-section (4) of section 6 of the principal Act reads as under :

"The Deputy Commissioner shall not refuse permission to the erection or re-erection of a building if such a building is required for purposes subservient to agriculture, nor shall the permission to erect or re-erect any such building be made subject to any conditions other than those which may be necessary to ensure that the building will be used solely for agricultural purpose."

The obligation for according permission for the erection or re-erection of buildings which are reported to be required for purposes subservient to agriculture gives complete exemption to

[Dr. Debiprasad Chattopadhyay]

land-owners who have been, by and large, misusing this privilege and obtaining sanctions for the putting up of buildings which are not necessarily needed by them for agricultural purposes. Thus, the object of imposing restrictions as envisaged in the Act is being defeated. The Chandigarh Administration wants to check this practice by amending the sub-section to provide that the permission will be given if the buildings required for purposes subservient to agriculture are erected or re-erected in accordance with the conditions as may be prescribed. If this amendment is carried out in the Act, the Administration will frame rules in which the conditions sought to be imposed shall be provided for.

Sub-section 2 of section 12 of the Act reads as follows :—

> "Without prejudice to the provisions of sub-section (1) the Deputy Commissioner may order any person who has committed a breach of the provisions of the said sub-section to restore to its original state or to bring into conformity with the conditions which have been violated, as the case may be, any building or land in respect of which a contravention such as is described in the sub-section has been committed and if such person fails to do so within six weeks of the order may himself take such measures as may apepar to him to be necessary to give effect to the order and the cost of such measures shall be recoverable from such persons as an arrear of land revenue."

The powers of the Deputy Commissioner under this sub-section were challenged in a civil writ before the Punjab High Court. The High Court in its judgment dated the 3rd August, 1966 declared this sub-section *ultra vires* on the ground that it vested an unregulated power in the Deputy Commissioner to pass an order of demolition without affording to the owner a reasonable opportunity of being heard against the contemplated action. In these circumstances, the Deputy Commissioner is left with no power to demolish unauthorised construction raised in the periphery area. To remedy this situation, the Administration has suggested that this section may be amended to provide for necessary enquiries being made and an opportunity being provided to the affected party for being heard by the competent authority before it passes the orders contemplated in the sub-section.

Clause (c) of Section 15 of the Act exempts from the operation of the Act "excavations (including wells) or other operations made in the ordinary course of agriculture." In order to regulate erection or re-erection of the building raised for providing shelter to tubewells or any other allied construction, it is proposed that the construction of superstructure over tubewells should not be exempted from the operation of the Act and that such superstructures should conform to standardised plan specifying architectural regulations for the same.

With these words, I commend the Bill for the consideration of the House.

The question was proposed.

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, यह जो विधेयक हमारे सामने पेश है यह एक छोटा सा विधेयक है और इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसका विरोध किया जाए । जैसा कि मंत्री जी ने कहा, जब चंडीगढ़ कैपिटल बना पंजाब की, तो 1952 में यह ऐक्ट पास हुआ और इस ऐक्ट की मन्शा यह थी कि चंडीगढ़ का जो विकास हो, उसका जो डेवलपमेन्ट हो, वह एक नियोजित ढंग से हो, एक टाऊन प्लानिंग के आधार पर किया जाए ताकि एक हैप्हैजार्ड-तरीके से, या यह किस्म ऐसी

मारतें वहां न बनें । 1966 में बंटवारे के कारण यह पंजाब के साथ साथ हरियाणा का भी कैपिटल बन गया । चंडीगढ़ का कुछ हिस्सा यूनीयन टेरीटरी के अन्दर भी है । वहां पर इंडियन एयर फोर्स को भी 10 साल पहले स्थापना हुई थी, वहां कैन्टूनमेन्ट है और मशीन टूल्स का भी वहां पर एक कारखाना है । इस तरह से चंडीगढ़ एक अच्छा शहर बना और ढंग का शहर बना । लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि 1966 के बाद यह हरियाणा का भी कैपिटिल हो गया है और इस तरह से अब वहां पर तीन गवर्नमेंट हो गई हैं । एक तो केन्द्रीय सरकार की गवर्नमेंट है, दूसरी हरियाणा की सरकार वहां पर है और तीसरी पंजाब की गवर्नमेंट है और यह जो कानून बनाया जा रहा है उनको तीनों स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यान्वित करेंगे । हो सकता है कि तीनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों का इन्टरप्रिटेशन एक जैसा न हो, एक मजिस्ट्रेट किसी चीज पर कोई खास किस्म की पाबन्दी लगाये और दूसरा न लगायें इस तरह से इस कानून को लागू करने में वहां पर दिक्कत पड़ सकती है ।

दूसरी बात यह है कि आपने या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिशनर को आथारिटी माना है । मैं चाहूंगा कि इस तरह के मसलों को तय करने का अधिकार केवल उन्हीं को होना चाहिये, ऐसा न हो कि वे अपनी पावर को एस० डी० एम० या दूसरे छोटे आफिसरों को डेलीकेट कर दें । इसमें यह तो अच्छी बात कही गई है कि चंडीगढ़ को अच्छे ढंग से बनाया जाय, उसको खूबसूरत शहर बनाया जाय, लेकिन चंडीगढ़ के फेट के बारे में सरकार अभी तक अनिश्चित है ।

एक माननीय सदस्य : फैसला हो गया है ।

श्री नवल किशोर : मैं तेरी बात हो तो कह रहा हूं । चुप बैठे रह । चंडीगढ़ के बारे में पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच झगड़ा हुआ । चूंकि हरियाणा के लोगों के पास जमीन नहीं थी उनको कुछ समय के लिए चंडीगढ़ में ही राजधानी बनाने की इजाजत दे दी गई । लेकिन अब चंडीगढ़ के बारे में फैसला हो चुका है कि वह पंजाब को जायेगा और उसके बदले हरियाणा को फाजिलका और अबहोर का हिस्सा दे दिया गया है । इस तरह से हरियाणा के लोगों को झुनझुना दिखा दिया गया है मगर अभी तक उनके कब्जे में यह चीज नहीं आई है । पंजाब की सरकार और पंजाब के लोग दोनों जगहों को देने में आनाकानी कर रहे हैं । पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स आपस में इस चीज का फैसला करने के लिए बैठे मगर उनके बीच में भी कोई फैसला नहीं हो सका । अब यह बात केन्द्रीय सरकार के पास आ रही है क्योंकि आखिरी फैसला तो वह होता है, हर मामले का फैसला यही प्रधान मंत्री के यहां हर बात का होता है । अब शायद इस बात की कोशिश की जा रही है कि फाजिलका और अबहोर का हिस्सा हरियाणा को दे दिया जाय और हरियाणा की सरकार को चंडीगढ़ से निकलना होगा ।

श्रीमन्, मैं यह बात इसलिए कह रहा था कि वहां पर तीन तीन एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है ।

श्री महावीर त्यागी : ये तो आपके यू० पी० को लेने की बात कर रहे हैं । हरियाणा वाले यू० पी० को लेने की बात कर रहे हैं ।

श्री नवल किशोर : श्रीमन्, बात यह है कि यह जो चौधरी रणबीर सिंह जी है उनकी आदत दूसरों की चीज पर कब्जा करने की हो गई है, वह भी नाजायज कब्जा करने की आदत हो गई है, मगर यू० पी० इस बारे में बड़ा सतर्क है । तो मैं यह कह रहा था कि जब इनको पंजाब से निकाल दिया गया, तो इनसे वादा किया गया था कि बदले में दो स्थान दिये जायगे और चंडीगढ़ को तुम्हें खाली करना होगा । सरकार ने इस तरह का फैसला तो कर दिया लेकिन वह

[श्री नवल किशोर]

अभी तक इम्पलीमेंट नहीं हो सका क्योंकि यह सरकार बहुत सुस्त और कमजोर है। यहां पर रणबीर सिंह जी बड़ी बात करते हैं मगर जब पंजाब में उनका मुकाबला होता है, तो फिर वे दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। अब उनकी नीयत यह है कि पंजाब से भागकर यू०पी० की ओर आयें। तो मैं चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि हमने उन्हें यू० पी० में जमीन जोतने के लिए दी है और अगर उन्होंने अपनी नीयत ज्यादा बिगाड़ी तो उस जमीन 5 P.M. से भी दखल कर दिया जायेगा।

चंडीगढ़ को खूबसूरत बना रहे हैं, उसके बारे में सरकार ने फैसला किया और वह पंजाब को दे चुकी है लेकिन इन गरीबों को जो देना है वह तो इनको दीजिए ताकि इम्प्लीमेंटेशन में आपको आसानी पड़े। इसमें और जायदा कुछ कहने की बात नहीं है। इन्होंने खुद कहा है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने दिक्कतें बताईं सरे हाई कोर्ट का फैसला था इसलिए एमेंडमेंट किया गया है। एमेंडमेन्ट पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिर में मैं यह जरूर कहूंगा कि पावर्स डेलीगेट तो करें लेकिन ऐसा न हो कि वहां उनका मिस्यूज होने लगे और भ्रष्टाचार पैदा हो जाय।

श्रीमती सीता देवी (पंजाब) : उपसभाध्यक्ष जी, चंडीगढ के सम्बन्ध में यह एमेंडिंग बिल हमारे सामने आया है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस वक्त चंडीगढ़ बनाया गया था तो पंडित जवाहर लाल नेहरू का यही ख्याल था कि चंडीगढ़ ऐसा शहर बनाया जाय जो जस्ट लाइक पेरिस हो, जो खास चीज हो। बनाया भी गया, अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की गई कि चंडीगढ वैसा ही बनाया जाय। यह रेस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हैं और डिपुटी कमिसनर को पावर दे रहे हैं 500 रुपया जुर्माने की और 500 रुपया न दो तो 50 रुपए रोज जुर्माने की। ठीक है, मैं इस हक में हूं कि डिसिप्लिन ज्यादा से ज्यादा रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि चंडीगढ़ में जो दस मील का एरिया है वह देहात है, वहां गरीब किसान और मजदूर बसते हैं। कभी आपने उनकी भी हालत देखी है? कभी मिनिस्टर साहब ने उनकी हालत देखना गवारा किया जिनकी जमीन लेने की बात आप सोच रहे हैं, चंडीगढ़ को एक्सपेंड करने की बात सोच रहे हैं, उन पर जुर्माने करने की बात सोच रहे हैं? जिनकी जमीनें ली जाती हैं कानून के मुताबिक उनको कम्पेनसेशन दिया जाय जैसे ही आप जमीन लें, कम्पेनसेशन दे दें। हालत यह होती है कि गरीब किसान या, मजदूर जिसकी जमीन आप लेते हैं 6–6 महीने तक वह एस्टेट आफिस के चक्कर काटता रहता है। कइयों को कई साल हो गए, जमीनों का फैसला हुआ, आज तक कम्पैनसेशन नहीं दिया गया। चंदीगढ़ में जो लेबर कालोनी लगा हुई है कभी आपने जाकर देखा है वहां लोग कैसे रहते हैं? वहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मैं मजदूरों में काम करती हूं। काफी असेम्बली में हम लोगों ने बावेला करके इन लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश की। तो मैं यह कह रही थी कि गावों में जो आप जमीन लेते हैं उनको जल्दी से जल्दी कम्पैनसेशन भी देना चाहिए ताकि जिसकी जमीन आप लें उसको बहुत परेशान न होना पड़े।

एक बात और है। आप जो जमीन लेते हैं बड़ी सस्ती लेते हैं। किसान को आप 5 हजार रुपया एकड़ का देते हैं और उसको आप बेचते कैसे हैं? जो चंडीगढ़ का तमाशा देखते हैं वे जानते हैं कि आप 5 लाख एकड़ के हिसाब से बेचते हैं। गवर्नमेंट जो जमीन किसानों से लेती है उसकी 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार एकड़ तक कीमत देती है। उनके प्लाट बना कर 300 रुपए गज, 400 रुपए गज, 500 रुपए गज, 800 रुपए गज तक बेचते हैं। तो मैं यह कह रही थी कि जो जमीन आप किसानों से लेते हैं, जितने प्रोफिट में सरकार बेचती है

कम से कम उसका 50 परसेंट प्रोफिट गरीब किसानों को दिया जाय । तब तो यह बात होगी कि हमारी समाजवादी सरकार है वह गरीबों के लिए कुछ न कुछ करना चाहती है ।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं । चंडीगढ़ जिन्होंने देखा, तकरीबन सबने देखा है, वे जानते हैं कि जब चंडीगढ़ बन रहा था तो उस समय हम सब यह कहते थे कि वह क्लासलैस सोसायटी का शहर बनना चाहिए । नहीं बना । आप चंडीगढ़ जा कर के देखें कि यह 2 सेक्टर है, यह 8 सेक्टर है, ये मिनिस्टरों की कोठियां हैं, ये सेक्रेट्रीज़ की कोठियां हैं, ये चपरासियों के मकान हैं, यह बाबुओं के मकान हैं । यह गलत चीज़ है । हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ को क्लासलैस और कास्टलैस होना चाहिये । इस लिए वहां कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये । जिस समाजवाद को हम लाना चाहते हैं, उसके लिए हमें वैसा ही चंडीगढ़ बनाना चाहिये । इसलिए इस अमेंडमेंट को लाने के पहले होना यह चाहिये कि आप वहां के लोगों की हालत को सुधारने की कोशिश करें । वहां पर शास्त्री मार्केट है । वहां पर खोखे वाले हैं । जगह-जगह गरीब मज़दूर लोग अपने खोखे लगा कर के रहते हैं और बड़ी कठिनाई से व अपनी रोटी कमाते हैं । आप चंडीगढ़ के आलीशान भवनों को देख कर खुश न हो जायं । वहां जो गरीब लोग हैं उनकी हालत को भी आप देखें । आये दिन उनका चालान होता रहता है । सेक्रटरिएट में जो इंस्पेक्टर है उसको जब तक वे दस-बीस रुपया देते रहते हैं, तब तक ठीक रहता है, नहीं तो उसका खोखा और उसकी सारी चीज उठा कर के फैंक दी जाती है । वहां आये दिन यह हालत होती है । इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं मिनिस्टर साहब से कि जहां आप यह अमेंडमेंट ला रहे हैं, वहां आप गरीबों को जो कष्ट होता है उससे भी उनको बचाने का प्रयत्न करें । वहां पर कोई भी रेंट रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल एक्ट नहीं है । आज चंडीगढ़ में अंधेर नगरी चौपट राज है । वहां पर कोई ऐक्ट नहीं है । सारे पंजाब के अन्दर रेंट रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऐक्ट है । वहां पर कोई ज्यादा किराया नहीं ले सकता है और किसी किरायेदार को कोई निकाल नहीं सकता है । पंजाब के अन्दर किरायदार को निकालना और भगवान को पाना बराबर है । लेकिन चंडीगढ़ में कोई ऐसा ऐक्ट नहीं है । चंडीगढ़ में आप को पता है कि जब जमीनें नीलाम होती हैं तो बहुत बढ़-बढ़ के लोग कीमतें देते हैं, क्योंकि जब वे मकान बना लेते हैं तो वे बहुत ज्यादा किराया चार्ज करते हैं । जिस छोटे से कमरे या बरसाती का किराया पंजाब के अन्दर सौ रुपया है उसी का चंडीगढ़ के अन्दर पांच सौ रुपया किराया है । फिर भी न वहां रेंट रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऐक्ट है और न कोई पूछने वाला है । इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां आप यह अमेंडमेंट लाये हैं, वहां आप यह अमेंडमेंट भी लायें कि वहां पर रेंट रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऐक्ट भी लागू होगा । जब आप ऐसा करेंगे तभी आप का उद्देश्य पूरा होगा; क्योंकि तब लोग गरीब किरायेदारों से ज्यादा किराया चार्ज नहीं कर सकेंगे । अभी वहां गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को रहना मुश्किल है, जीना मुश्किल है क्योंकि वहां बहुत महंगा किराया है ।

इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जिन चीजों की तरफ मैंने ध्यान दिलाया है, उनके सम्बन्ध में मिनिस्टर साहब आवश्यक कार्यवाही करने की कोशिश करें । आप चंडीगढ़ को एक आदर्श शहर बनाना चाहते हैं । जस्ट लाइक पैरिस बनाना चाहते हैं, लेकिन वह तभी ऐसा शहर बन सकेगा, जब वहां गरीबों की हालत अच्छी होगी । आपने डिप्टी कमिश्नर को बहुत से अधिकार दे दिये हैं । लेकिन वहां डिप्टी कमिश्नर की हालत कैसी है यह आपको मालूम है । इस लिए मैं कहना चाहती हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, मुझे आशा है कि मिनिस्टर साहब उनकी तरफ भी ध्यान देंगे । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करती हूं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) : श्रीमन्, मैं नहीं समझ पाता कि चन्डीगढ़ की जो समस्या है उस पर विधेयक ला कर सरकार सदन का समय क्यो खराब करती है । चडीगढ़ के सबध मे आप एक फैसला कर चुके है कि चडीगढ किधर जायेगा, फाजिलका और अबोहर किधर जायेगा, लेकिन सरकार को उस समय कोई फैसला करना था, उस समय पंजाब मे एक विवाद पैदा हुआ था, फेरुमन ने अनशन किया था और अकाली पालिटिक्स को सरकार को समाप्त करना था, इसलिए कागज पर उन्होंने एक फैसला कर दिया, उस को अमल मे नही लाना है और उसका उदाहरण यह विधेयक है, वरना हम को इस विधेयक पर विचार करने की आवश्यकता नही थी। आज लखनऊ और कलकत्ता के बारे मे आप विचार नही करते । अन्य किसी प्रान्त की राजधानी के बारे मे सदन को विचार करने की आवश्यकता नही और चडीगढ़ के बारे मे एक फैसला राजनीतिक दृष्टि से हो गया है तो आज फिर इस सदन मे एक शहर की समस्या के बारे मे क्यो विचार किया जाय । आज वहा नौकरशाही की एक व्यवस्था है, उसको कानूनन अधिकार देना चाहते है, चडीगढ के लोग यह नही चाहते है ।। आखिर सारे देश मे एक व्यवस्था है, एक प्रजातात्रिक डेमोक्रेटिक व्यवस्था हमने बनायी है और उस सदर्भ मे अगर चडीगढ मे मकानो के निर्माण, डिमालिशन आदि की व्यवस्था अगर हम को करनी है तो चडीगढ मे भी प्रजातात्रिक व्यवस्था के अनुसार वहा के चुने हुए लोगो के द्वारा इसकी व्यवस्था हो सकती है । यह ठीक है कि कोई सेंटर का एड्मिनिस्ट्रेटिव हो जाय, लेकिन क्यो हो ? लेकिन काग्रेस की अपनी राजनीति है । वह अपनी राजनीति मे असफल हो गयी । वह आज न हरियाणा के लोगों को राजी रख सकते है और न पजाब के । फैसला जरूर उन्होने कर दिया लेकिन पजाब वाले कह रहे है कि हम इन मकानो को ले कर क्या करेंगे । हम को तो जो फाजिलका और अबोहर का रुई पैदा करने वाला इलाका है वह इलाका चाहिए । हरियाणा वाले कह रहे है कि ऐसा फैसला आपने पजाब के दबाव मे आ कर कर दिया । तो न चडीगढ पजाब की राजधानी होने वाला है और न हरियाणा की और आप चाहे राजी हो या नही रणधीर सिह जी, फाजिलका आपको मिलने वाला नही (*Interruption*) उस समय की राजनीतिक अवस्था को देखते हुए, उस समय के असतोष को दबाने के लिए आपने एक राजनीतिक फैसला कर दिया और वह कागज के अदर रखा हुआ है । अगर उसको लागू करना होता तो वह लागू किया जा सकता था । वैसे उसको लागू करना चाहिये क्योकि एक फैसला हो गया, एक राजनीतिक व्यवस्था हो गयी लेकिन इस विधेयक के आने का मतलब यह है कि सरकार की कोई नीति नही है । हम चाहते है कि चडीगढ के बारे मे विचार करना है तो वह विचार पजाब की असेम्बली मे होना चाहिए, उसके लिए इस सदन का समय क्यो व्यर्थ मे बर्बाद किया जाय । क्योकि एक शहर की सारी व्यवस्था के बारे मे बार-बार इस सदन को विचार करना पडता है, इसलिए मै कहूगा कि इस मूल समस्या पर विचार किया जाना चाहिए और मै यह भी मानता हू कि जो माननीय मत्री महोदय यहा बैठे हुए है वह इस समस्या का जवाब देने की दृष्टि से सक्षम नही है, वह इसका जवाब नही दे सकते, उनके विषय की बात नही, वह केवल इस विधेयक के कानूनी पक्ष के बारे मे बता सकते है, लेकिन जो मूल समस्या है और जिसके कारण लोगो मे असतोष है, क्योकि 15 अगस्त को जब हम स्वाधीनता दिवस मना रहे थे तो उस समय हमने देखा कि फाजिल का और अबोहर के लोग अपनी मागो को लेकर यहा आये थे कि हमारा कोई फैसला करो । देश आजाद हो गया, लेकिन फाजिलका और अबोहर के लोग कहा है ? उनको पानी नही मिलता । पजाब वाले सोचते है कि यह हरियाणा मे चले जायेगे और इसलिए उन के

पानी बंद कर दिया और वह कहते हैं कि इस कारण हम रुई उगा नहीं सकते । तो देश के एक हिस्से के लोग इस अवस्था में पड़े हुए हैं । चंडीगढ़ के लोग भी इसी अवस्था में हैं और पता नहीं सरकार फिर उनका प्रश्न कोल्ड स्टोरेज में न डाल दे । तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये कि चंडीगढ़ केन्द्र शासित रहेगा या पंजाब की राजधानी होगा या हरियाणा की । हम लोगों के सामने सीता देवी जी बोल रहीं थीं । जो वह कह रहीं थी वह वर्तमान हालत में नहीं होना चाहिए । वहां अलग एक अथारिटी क्या होगी, पंजाब की, हरियाणा की या सेंटर की ? वह अथारिटी जब तक डेमोक्रेटिक नहीं होगी, जब तक वहां के चुने हुए लोग अपने गांव और अपने शहर के बारे में राय नहीं दे सकेंगे, तब तक वहां के लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकेगा । वह अथारिटी वहां के चुने हुए लोगों द्वारा बन सकती है । यह कहना कि केन्द्र सरकार है, उसमें चुने हुए लोग हैं, तो वह सारे देश के लिए चुने हुए हैं. चंडीगढ़ के लिए चुने हुए नहीं हैं । तो जब तक चंडीगढ़ की व्यवस्था डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं होगी, तब तक वहां की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है और उसके लिए आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार निश्चित रूप से निर्णय ले और वह निर्णय राजनीतिक हो और चूंकि केन्द्रीय सरकार दबाव में है इसलिए वह निर्णय होने वाला नहीं है । तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सदन का समय बार-बार विधेयक ला कर खराब न किया जाय, इसलिए कोई फैसला ठीक ढंग से किया जाना चाहिए ।

श्री सुलतान सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन चंडीगढ़ के बारे में लाये हैं, मैं इतनी ही उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आज चंडीगढ़ की हालत ऐसी है कि चंडीगढ़ का पैरीफैरी एरिया कुछ हरियाणा में है, कुछ पंजाब में है । और जैसा कि श्री नवल किशोर जी ने कहा कि कुछ फैसला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अम्बाला करेंगे—हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेंगे—और कुछ के बारे में पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेंगे, रोपड के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेंगे । ऐसी हालत में चंडीगढ़ का विकास मैं समझता हूं कि पूरे तौर पर नहीं हो सकता । चंडीगढ को एक आदर्श शहर हम बनाना चाहते थे और उस समय पंडित जी की बड़ी भावना थी कि चडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर बने, लेकिन जैसा कि पंजाब की राजनीति और पंजाब के हालात ने मोड़ खाया, उसके मुताबिक चंडीगढ़ का भविष्य आज कोई उज्जवल नजर नहीं आता और जब से यह फैसला हुआ, जब से यह एवार्ड भारत सरकार ने दिया कि चडीगढ़ पंजाब में जाय और फाजिलका और अबोहर हरियाणा में उस दिन के बाद से चंडीगढ़ का विकास बिलकुल रुका हुआ है और वह इसलिये रुका हुआ है कि हरियाणा का कोई आदमी तो वहां मकान बनाना नहीं चाहता, क्योंकि शहर पंजाब का है और पंजाब के लोग भी कुछ चक्कर में हैं, फाजिलका और अबोहर के हरियाणा में जाने की बात जब होती है तो वह भी चक्कर में पड़ जाते हैं ।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि यह जो एवार्ड है चंडीगढ़ का पंजाब में जाने का और फाजिलका और अबोहर का हरियाणा में जाने का इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दें ताकि चंडीगढ़ का विकास हो सके । जहां तक कि माथुर साहब ने एक बात कही कि भारत सरकार चक्कर में डाल रही है,..

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : निकल जावो इसके चक्कर में से ।

श्री सुलतान सिंह : ...तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर बहन इन्दिरा गांधी ने एलान किया था कि शेख मुजीबुर्रहमान को छुड़वायेंगे पाकिस्तान के पंजे से तो वह छूटे और बंगला देश को आजाद कराने का एलान किया था तो वह हुआ और यह जो

[श्री सुलतान सिंह]

फैसला है फाजिलका और अबोहर का हरियाणा में जाने का और चंडीगढ़ का पंजाब में जाने का वह भी पूरा होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि जब देश की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी हैं तो फाजिलका और अबोहर को कोई ले नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है कि जो फैसला हुआ है वह पूरा होगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से कहता हूं कि इस फसले के बाद फाजिलका और अबोहर के लोग बेहद दुःखी है, रोज़ाना वह हमारे पास आते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जब प्रधान मंत्री कर रही हैं, फिर क्यों दुःखी हैं ?

श्री सुलतान सिंह : इसलिये कि पंजाब के लोग उनको नहर का पानी नहीं देते। पंजाब के अन्दर भाषा का एक फार्मूला है, वहां पहली जमात से, शुरू से पंजाबी माध्यम के साथ पढ़ना पड़ता है और फाजिलका-अबोहर के लोग हिन्दी स्पीकिंग हैं, वहां के लोग हिन्दी भाषा बोलने वाले हैं, उन बच्चों को हरियाणा के अन्दर आ कर पढ़ना है, तो उनको आज यह छूट नहीं है कि वह अपने बच्चों को हिन्दी पढ़ा सकें, उनको जबरदस्ती पंजाबी पढ़ाई जाती है। मैं तो एक दरख्वास्त करता हूं कि जब तक फाजिलका अबोहर हरियाणा को ट्रांस्फर नहीं हो जाता, उस वक्त के लिये कम से कम फाजिलका अबोहर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाय ताकि उनके बच्चों का भविष्य तो खराब नहीं हो ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सारा देश यूनियन टेरिटरी बना दिया जाय।

श्री सुलतान सिंह : ...उनके ऊपर पंजाबी जबान जबरदस्ती ठूंसी न जाय। वहां की हालत क्या है ? वहां से बिजली के खम्बे उखाड़-उखाड़ कर पंजाब में ले जाते हैं, जो कोई तरक्की की चीज़ है उसे पंजाब में ले जाते हैं, पंजाब सरकार जानती है कि यह एरिया हरियाणा में जाने वाला है।

श्री चक्रपाणि शुक्ल (मध्य प्रदेश) : इसलिये आप तरक्की कर नहीं सकते हैं।

श्री सुलतान सिंह : हम तरक्की करेंगे, लेकिन आज हालत यह है कि हम वहां काम कर नहीं सकते। (*Time bell rings*) तो हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ का विकास जल्दी हो और फाजिलका अबोहर के लोग भी उस कैद से छूटे और उनके बच्चे भी जिस भाषा में पढ़ना चाहें पढ़ सकें। तो कोई जरूरत नहीं है इस अमेंडमेंट की। वैसे तो मैं समर्थन करूंगा अगर आप प्रेस करेंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, वहां तो एक ही बात की जरूरत है कि जो एवार्ड हमारे देश की प्रधान मंत्री ने और भारत सरकार ने दिया है उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दे ताकि चंडीगढ़ एक खूबसूरत शहर बन सके।

चंडीगढ़ के बारे में एक और बात कहूंगा। आप चंडीगढ़ जाइये तो उसे आज आप भारत का शहर नहीं कह सकते, उसमें कोई भारत की संस्कृति की झलक नहीं है, बल्कि वह एक यूरोपियन शहर बन जा रहा है। सेक्टर वन है, सेक्टर टू है। आज हम शहीदों का सम्मान करते हैं, आज हम देशभक्तों का सम्मान करते हैं और हम चंडीगढ़ एक नया शहर बनाने जा रहे हैं, तो उसको अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति के मुताबिक क्यों नहीं बनाते ? एक-एक बिलडिंग का रूप अमरीकन रूप है, हिन्दुस्तानी रूप नहीं है, एक-एक सेक्टर का अमरीकन रूप है, हिन्दुस्तानी रूप नहीं है। आज सरकार को चाहिए कि एक-एक सड़क का नाम भगत सिंह रोड हो, सुख देव रोड हो, एक-एक सेक्टर का नाम लाला लाजपत राय सेक्टर हो, सुभाषचन्द्र बोस सेक्टर हो, जवाहरलाल सेक्टर हो, मोतीलाल सेक्टर हो। अगर आज हम उस शहर को हिन्दुस्तानी रूप का शहर नहीं बना

सकते है तो फिर कब बनाएगे? आज चडीगढ: को अमरीकन तर्ज का, अमरीकन तहजीब का, यूरोपियन ढग का शहर बनाया जा रहा है। हिन्दुस्तान की सस्कृति की किसी बिल्डिग से आपको झलक नजर नही आती है। तो अपने आर्ट, अपने पुराने कलचर के मुताबिक सिटी चडीगढ को बनाए। इस तरफ सरकार का तवज्जह देनी चाहिए।

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जहा तक इस विधेयक का ताल्लुक है, इसका मैं समर्थन करता हू और इसलिए कि चडीगढ पजाब मे रहे या केन्द्र शासित रहे, उसके विकास की बहुत आवश्यकता है। लेकिन जैसा माथुर साहब जैसे दोस्तो को शक है, चडीगढ का फैसला जनसघ ने नही किया, चडीगढ का फैसला दिया है इन्दिरा गाधी जी ने जो हिन्दुस्तान की प्रधान मत्री थी और आज है। तो उस फैसले मे हेर-फेर की कोई बात नही है और शक भी नही है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : फिर डर क्यों रहे है ?

श्री रणबीर सिंह : हम नहीं डरते है। आप को डर होगा। मैंने कहा कि पजाब मे आपके बीज का नाश हो गया। कोई एक मेम्बर सारी असेम्बली मे जनसघ का नही आया। हरियाणा मे 9 से घट कर दो आए है।

श्री मान सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : इससे क्या फर्क पडता है ?

श्री रणबीर सिंह : नुकसान किसका है ? नुकसान आप हमको बता रहे है या मैं आपको बता रहा हू—आप सोच ले। इस बात मे नुकसान आपका हुआ ही, अकाली पार्टी का भी हुआ। जनसघ का बीज भी मिट गया फाजिलका और चडीगढ के फैसले से। उसका ही नतीजा हुआ। बहिन इन्दिरा जी ने बहुत सोच के, विचार कर के, सभी भाइयो की, सब प्रदेश के लोगो की बात सुन कर फैसला किया।

श्री बनारसी दास (उत्तर प्रदेश) : फिर इम्प्लीमेन्टेशन मे देरी क्यो आई है ?

श्री रणबीर सिंह : उसके अदर लिखा है बनारसीदास जी, 5 साल तक हम चडीगढ मे रहेगे और 5 साल के बाद हमको वहा से जाना है। पाच साल के अदर-अदर, भाई सुलतान सिंह ने जिक्र किया कि अबोहर फाजिलका को केन्द्र-शासित बना दिया जाए। तो उसको तो केन्द्र शासित बनाने की आवश्यकता नही। बहुत जल्द ही इसके बारे मे कानून पास किया जा सकता है कि इसको हरियाणा मे मिला दिया जाय। कानून ही बनाना है तो दो दफा थोडे ही बनाना है। इस सदन और उस सदन, दोनो सदन बैठ कर फैसला कर सकते है। लेकिन मैं मत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता था कि चडीगढ की परिफेरी के बारे मे जो फैसला हुआ— कुछ गावो को पहले शामिल किया गया, बाद को दोबारा सरकार की हिदायत निकली—उसके मुताबिक फेरिफेरी बदली। तो मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि पेरिफेरी के डेवलपमेंट का कानून यही बनना चाहिए, लेकिन पेरिफेरी बदलनी चाहिए, क्योकि जब हिन्दुस्तान की सरकार का एक फैसला है कि हरियाणा एक अलाहिदा प्रदेश रहना है और उसके साथ वाला इलाका जब हरियाणा के साथ आ गया तो चडीगढ का जो विकास होगा उसमे हरियाणा का दखल नही हो सकता है, न चडीगढ का जिसको भी पजाब को जाना है, न पजाब वालो का हरियाणा मे दखल आ सकता है। तो इसलिए जो पेरिफेरी हमने पहली दफा हुक्म के मुताबिक रखी थी उसको हम बदले और हरियाणा के गावो या गावों को जो हरियाणा का भारत सरकार के फैसले के अनुसार मिलेगे, उस पेरिफेरी से निकाले ताकि हरियाणा के लोग, हरियाणा की सरकार कम से कम उन देहातो की तरक्की के लिए अपनी योजना अब से पहले तैयार कर ले।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उसके अदर यहा भी मुश्किल है कि कुछ इलाका तो आज ऐसा

[श्री रणबीर सिंह]

है जो देहात हरियाणा को मिल गए हैं एवार्ड मे, लेकिन अभी चडीगढ केन्द्रशासित इलाके मे शामिल है और कुछ इलाका आज भी हरियाणा मे शामिल है। उस पेरिफेरी की लाइन बदलनी चाहिए। वह पजाब की तरफ बढाए और जहा बढाना चाहते हैं बढाए। जो इलाका हरियाणा मे जाना है या जो आज हरियाणा के इलाके मे पेरिफेरी के गाव आते हैं उनको छोड देना चाहिए। वह उससे निकाल देना चाहिये और उसको न हमारे अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर को आवश्यकता हो कि कोई हुक्म चडीगढ के विकास के लिये निकाले और न वह चडीगढ की तरफ देखे क्योकि चडीगढ से कोई सम्बन्ध रहने वाला नही है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी विश्वास के साथ कह सकता हू कि आप मेरी यह बात सम्बन्धित मत्रालय तक पहुचा देगे, चूकि यह मामला आपके मत्रालय से सबधित नही है। मेरा कहना यह है कि जब तक फाजिलका और अबहोर हरियाणा मे शामिल नही हो जाते, तब तक वहा पर शिक्षा का जो माध्यम हिन्दी था, वहा पर जो शिक्षा प्रणाली थी, उसको बदला नही जाना चाहिये। पहले जब इकट्ठा पजाब था तो फाजिलका और अबहोर के हर एक गाव मे हिन्दी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थी। जब से हिन्दुस्तान सरकार का फैसला वहा के बारे मे हुआ, तब से वहा पर शिक्षा प्रणाली बदल दी गई है और पजाब की सरकार कहती है कि वह इलाका हिन्दी भाषी-इलाका नही है, जब कि एवार्ड ने इस बात को माना है। तो मैं मत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हू कि वहा पर इस तरह की बात को चलने नही दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हू कि फाजिलका के 20—24 गाव के कुछ इलाके इस समय पाकिस्तान के कब्जे मे पिछली लडाई से हैं। जब पाकिस्तानी फौजे वहा से पीछे हटेगी, तो वहा के लोग जो तबाह हो चुके हैं—चूकि यह इलाका अभी पजाब सरकार के पास है, हरियाणा का दखल नही हुआ है—केन्द्रीय सरकार को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिये कि जब तक वह इलाका हरियाणा सरकार के पास नही आ जाता है, तब तक उसे केन्द्र सरकार को अपने कब्जे मे रखना चाहिये। जहा तक उन लोगो को बसाने का ताल्लुक है, इसके बारे मे केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदारी खुद ले लेनी चाहिये। केन्द्र सरकार किसी मत्री को इस काम के लिए लगा दे ताकि वह वहा के लोगो की तकलीफो के बारे मे सब बात अच्छी तरह से देख सके और जो उजडे हुए गाव के लोग हैं, उनको ठीक तरह से इमदाद मिल सके और वहा पर अच्छी तरह से बस सके।

वहा के पचास-साठ भाई यहा प्रधान मत्री जी से आकर मिले। प्रधान मत्री जी ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी हर तरह से सहायता की जायेगी, लेकिन अफसोस की बात है कि हिन्दुस्तान की सरकार इस तरह के उजडे हुए भाइयो की जिन्हे लडाई के जमाने मे हर तरह की तकलीफ हुई। उनके लिए जो सहायता मजूर की गई है, वह पूरे तौर से अभी तक पजाब सरकार उन्हे नही दे पाई है। इसलिए मैं हिन्दुस्तान की सरकार से प्रार्थना करूगा कि वहा के लोगो को जो उजड गये है, ज्यादा से ज्यादा सहायता की जाय। हो सकता है इस मत्रालय का यह काम न हो, लेकिन किस दूसरे मत्रालय के मारफत जितना सहायता वहा के लोगो को दी गई है, वह उन्हे दिलाई जाय। जब वहा से फौज हट जाय और जो नुकसान उन्हे लडाई की वजह से हुआ है, वह नुकसान पूरा कराया जाय ताकि वे उजडे हुए गाव वाले फिर से अपने पावो पर खडे हो सके और उन्हे इस लायक बनाने के लिए हिन्दुस्तान की सरकार को अपनी जिम्मेदारी मान कर उनकी ज्यादा से ज्यादा सहायता करनी चाहिये।

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA: Sir, as you have noted from my prefatory remarks at the time of the introduction of the Bill that it is a very small piece of legislation and with very limited objects but in the course of the discussion of this piece of legislation some very important points have been made by hon. Members. The points are very important but, Sir, I am not quite sure whether all of them are quite connected with the issue before us at the moment.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: You are unable to reply them. You cannot reply to them.

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA: Sir, the two main issues which are pertinent to this piece of legislation are regarding the plight of the poor people, the agriculturists, who reside within the 10-mile radius around the city. We know, we are quite aware of the difficulties experienced by the poor people in and around this city and it is not peculiar to this city alone. We know, Sir, that if a city is allowed to grow unplanned, it has its own problems. What do we see, for example, in Bombay and Calcutta? We are now aware of the problems experienced by the cities which are planned, like Chandigarh, for example. So, in either case poor people because of their poverty, lack of resources etc., experience certain difficulties. When the big buildings come up, they have to live in hovels, jhuggis and jhonpris. This is a very pertinent point, a very relevant point mentioned by hon. Members. But, Sir, in this matter we are very much sympathetic and it is also our aim to see that some of the expenses for construction of the buildings or some other accommodation or residential quarters for the poor people are met by the money received and raised from selling developed lands by the Government or the local self-Government to the richer sections of the people. As you know, these problems are mainly in the hands of the State Governments and if they take the initiative we will be happy.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): The relevant question was the land acquired from the cultivators was at a fixed price, but after acquiring it the Government sells it away at a price which is ten times or fifteen times higher. So what my hon. friend stressed was that when land is taken from a poor cultivator he must also be paid liberally, a little higher price than what he is paid today.

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA: So far as the principle is concerned, I entirely agree with it but what will be the details is a matter to be worked out by the concerned authorities. In this case we are not the concerned authority but, as I have said, in principle we agree with this approach. So far as the Central Government is concerned, as you might be knowing, we have some housing schemes particularly meant for the poorer sections of the people. And we have also now put into effect certain projects for providing house sites for the landless agriculturists. We are giving not only land to them but also bearing the cost of acquisition of land and providing some amount for the improvement of the land. That is the question which I think is quite relevant, but again I fear that is not quite germane to this piece of legislation.

The other point which I think is very important is what is injected into this issue, that is, the question of geographical and political future of Abohar, Fazilka, and Chandigarh. As you know, certain decision have already been taken by the Government and now it is a question of implementation. When the decisions were taken, the question of time as also taken into consideration. Therefore, it is not a question of criticism or controversy

[Dr. Debiprasad Chattopadhyaya]

but it is a question of time and I am sure that the Government will fulfil its commitment in time.

Some other thing has been said about whether power should be given to the Deputy Commissioner or not. We have already mentioned there is a ruling of the Punjab High Court stating that power should not be given to the Deputy Commissioner *ex-officio* because according to the court the exercise of the power has left much to be desired. It was felt by the Court that the powers have been exercised to the detriment of the interests of the poorer sections of the people. Now it will be a rule by regulations, not of the Deputy Commissioner or any other officer but a rule of laws. So, when this measure is passed, certain rules will be framed and the position regarding regulation of construction and structures ancillary to agriculture will be controlled by these rules and not by the fiat of this or that officer and we hope, Sir, that this change in approach, change from the official approach to the approach in terms of rules, will prove beneficial to the persons concerned. Ultimately we have to see that when a planned town is coming up it comes up according to the architectural design. Its architectural design, its aesthetic elegance and other municipal considerations will have to be taken into consideration and that precisely is what is being taken into consideration while this piece of legislation is brought before this House for its endorsement.

SHRI RANBIR SINGH: May I put one question for clarification? What about the change in the Periphery Order keeping in view the territorial adjustment of Punjab and Haryana?

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA: This is not what we are concerned with in this piece of legislation. Only within a 10 miles radius...

SHRI RANBIR SINGH: We are dealing with the Periphery in this Bill.

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA: We have said that some unauthorised constructions are coming up. It was originally decided that only those constructions which are ancillary or subservient to agriculture will be allowed to come up. But taking advantage or rather illegally utilising that advantage many constructions have come up which are not even remotely connected with agriculture. It is to prevent that sort of much-room, haphazard, unplanned growth of constructions that this Bill has been brought forward.

SHRI SULTAN SINGH: Now the Minister has assured that the award will be implemeted. It is a question of time, and it is well known that some areas, which are now in the periphery of Chandigarh, have to go to Haryana according to the award, and Chandigarh city will go to Punjab. Why then our area is taken in the periphery—that is the question—when the city has to go to Punjab?

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA: Sir, I have nothing to add to what I have said. The question is perhaps not addressed to me because this Ministry is not concerned with the question raised by the hon. Member.

SHRI RANBIR SINGH: My question is concerned with this legislation because we are legislating about the periphery area of Chandigarh. Therefore we demand that the periphery area be again demarcated keeping in view the territorial adjustment which has to be made, or which has already been made.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI V. B. RAJU): That has to be addressed to the other Ministry.

The question is:—

"That the Bill further to amend the Punjab New Capital (Periphery)

Control Act, 1952 as in force in the Union territory of Chandigarh, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): We shall now take up clause-by clause consideration of the Bill. There are no amendments to the Clauses.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA: Sir, I move:—

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

श्री मान सिंह वर्मा : श्रीमन्, अभी हमारे कई मित्रों ने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि आप इस कानून में संशोधन तो करने जा रहे हैं किन्तु इसके द्वारा यदि किसी को हानि होगी तो वह समाज का जो निर्बल अंग है उसको होगी और प्रायः यह देखने में आता है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं और जो गरीब लोग हैं, जिनके मकान वहां बने हुए हैं, जो गरीब किसान हैं छोटे, केवल वही अधिकतर सफरर होते हैं और आपने उनके प्रति सिम्पैथी भी दिखलाई है, हमदर्दी भी दिखलाई है, लेकिन यह कहा है कि इसकी व्यवस्था तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगी, वह इसको करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को आप अधिकार तो देने जा रहे हैं, वह आप दें और उसको आप अधिकार दे रहे हैं कि वह जब चाहे जैसा कर सकती है, प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना भी कर सकती है, जो अब तक नहीं था, लेकिन इस अधिकार का वे मिसयूज न करें उसके प्रति ही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस कानून को जब वे लागू करें तो विशेष रूप से आप उनको कहें कि इसका मिसयूज न हो और गरीब लोग उसमें सफरर न हों, झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन के आस-पास भी झुग्गी झोपड़ी वाले पड़े हुए हैं। आपने समाजवाद का एक नमूना चंडीगढ़ को बनाया हुआ है, लेकिन वहां भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, वह सफरर न हों इस कानून की जद में आ कर, उनको कोई नुकसान न पहुंचे इस का ध्यान रखा जाना चाहिए।

DR. DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA: Sir, it is a suggestion for action and I hope that, when the rules are framed, it will be taken into consideration.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL, 1972

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Bill, 1972, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 22nd August, 1972."

Sir, I lay the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri V. B. Raju): The House is adjourned till 11 A.M. on the 25th August, 1972.

The House then adjourned at forty-two minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 25th August, 1972.

GIPN—S8—15 R. S./72—20-12-72—570